बिहार सरकार

पत्रांक–15 / एम 1–314 / 08 – 16

बिहार सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

प्रेषक,

प्रकाश चन्द्र सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना ।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

(द्वारा – वित्त विभाग)

पटना, दिनांक – 14.12.09

विषय:– वित्तीय वर्ष 2009–10 में आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के लिए स्थापना एवं अन्य व्यय हेतु रू0 1,32,83,000/– (एक करोड़ बत्तीस लाख तिरासी हजार रू0) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2009–10 में आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के लिए स्थापना एवं अन्य व्यय हेतु रू0 1,32,83,000/– (एक करोड़ बत्तीस लाख तिरासी हजार रू0) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृत करने की कृपा की है ।

2. व्यय का विकलन मुख्यशीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा–उपमुख्य शीर्ष–03– विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा– लघुशीर्ष – 102– विश्वविद्यालयों को सहायता मांग संख्या–21 –उप शीर्ष–0115 –राज्य के विश्वविद्यालयों का विकास विपत्र कोड – पी 2202031020115– विषय शीर्ष 3101–सहायक अनुदान के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में होगा

3. स्वीकृत राशि की निकासी सचिवालय कोषागार विकास भवन, बेली रोड, पटना से लेखा पदाधिकारी, मानव संसाधन विकास विभाग बिहार, पटना द्वारा कर विशेष कार्य पदाधिकारी, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा इस निमित खोले गये बैंक एकाउन्ट में जमा कर दिया जायेगा ।

4. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 5.10.07 एवं महालेखाकार बिहार के पत्रांक 877–907 दिनांक 8.11.07 के आलोक में आवंटन आदेश निर्गत होने के पश्चात् निकासी की जाएगी। अतएव महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

5. यह स्वीकृत्यादेश संचिका सं0 15/एम 1–314/08 के पृष्ठ सं0 21/टि0 दिनांक 09.10.09 को हुई योजना प्राधिकृत समिति की बैठक एवं संचिका सं0 15/एम 1–314/08 के पृष्ठ

F:DataBackup Pramod/Sukiyadesh/ Prabandhan Sansthan 14 02 08

सं0 25/टि0 दिनांक 17.11.09 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में दी गई स्वीकृति के आधार पर निर्गत किया जा रहा है।

6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका सं0 15/एम 1–314/08 दिनांक 07.12.09 के पृष्ठ 27/टि0 पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा दी गई स्वीकृति के आधार पर निर्गत किया जा रहा है।

7. भारत के अंकेक्षण एवं लेखा महापरीक्षक तथा राज्य सरकार के अंकेक्षण विभाग (वित्त) को यह अधिकार होगा कि वे इस लेखा का अंकेक्षण करें । अतएव इसके लिए सम्पूर्ण राशि का लेखा जोखा अलग से रखा जाएगा।

8. निदेशक, मानव संसाधन विकास (उच्च शिक्षा) विभाग, बिहार, पटना को इसकी सूचना दी जा रही है ।

9. राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार बिहार पटना एवं एक प्रति विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

विश्वासभाजन

ह0/–
(प्रकाश चन्द्र सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–15/एम 1–314/08/–16 पटना, दिनाक – 14.12.09

प्रतिलिपि –विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/वित्त विभाग (स्कीम एवं बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/निदेशक, मानव संसाधन विकास (उच्च शिक्षा) विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/ विशेष कार्य पदाधिकारी, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना/आय–व्ययक सह लेखा पदाधिकारी, मानव संसाधन विकास विभाग/लेखा पदाधिकारी, मानव संसाधन विकास (उच्च शिक्षा) विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–5, 14 एव 15 तथा संबंधित कार्यवाहक सहायक, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

14/12/09

(प्रकाश चन्द्र सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव